मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी क्षेत्र - इंदौर

शुद्धिपत्र क्रमांक 11/07/2017, दिनांक 09.05.2018

सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2017

चयन प्रक्रिया / परीक्षा योजना से साक्षात्कार का विलोपन

01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग , मध्य प्रदेश शासन हेतु विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापकों के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 07/2017, दिनांक 12.12.2017 आयोग की वेबसाइट तथा **"रोजगार और निर्माण"** समाचार पत्र के दिनांक 18.12.2017 के अंक में प्रकाशित किया गया है।

02 मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1/03/2018/38-1, दिनांक 04.05.2018 के अनुपालन में उक्त विज्ञापन के परिशिष्ट-4 में उल्लेखित परीक्षा योजना निम्नानुसार संशोधित की जाती है :-

परिशिष्ट-4

सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2017

परीक्षा योजना

(अ) अंक योजना :-

लिखित परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी। परीक्षा ऑनलाईन पद्धति से आयोजित की जावेगी।

लिखित परीक्षा	विवरण	अंक
प्रश्न पत्र	विज्ञापित पद से संबन्धित विषय लिखित परीक्षा के कुल अंक	400
	कुल अंक	**400**

(ब) प्रश्न-पत्र योजना

1. प्रश्न-पत्र में समस्त प्रश्न वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्प) प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प (A,B,C,D) होंगे। प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर (A,B,C,D) में समूहीकृत किया जायेगा। जिसमें से केवल एक ही सही उत्तर होगा।
2. प्रश्नपत्र, पद से सम्बन्धित विषय का होगा जिसमें 2-2 अंकों के कुल 200 प्रश्न होंगे। इस प्रकार इस प्रश्नपत्र का पूर्णांक 400 होगा।
3. प्रश्न-पत्र की अवधि 3 घंटे की होगी। प्रश्न-पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। किन्तु भाषागत विषयों के प्रश्न-पत्र की रचना केवल संबन्धित भाषा में ही होगी।

(स) लिखित परीक्षा में उत्तीर्णांक :

लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु आवेदक को प्रश्नपत्र में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मध्यप्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त श्रेणी के आवेदकों को जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं, लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परीक्षा में कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा।

(द) अतिथि विद्वानों को देय वरीयता अंक :

मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों, शासकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तीय योजना के तहत कार्यरत अतिथि विद्वानों एवं राज्य विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक विभागों में संबन्धित विषयों का अध्यापन कार्य करने वाले अतिथि विद्वानों को अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य/ विश्वविद्यालय के अतिथि विद्वानों के संदर्भ मे राज्य शासन द्वारा अभिनिर्धारित प्राधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित गणना-पत्रक के आधार पर अधिकतम 20 वरीयता अंक दिये जायेंगे। इस संबंध में शासन से प्राप्त निर्देशों का पालन किया जावेगा।

(इ) चयन विधि : अंतिम चयनफल, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में अतिथि विद्वानों द्वारा प्राप्त वरीयता अंक को जोडकर कुल प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर घोषित किया जायेगा।

03 मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1/03/2018/38-1, दिनांक 04.05.2018 के परिप्रेक्ष्य में विज्ञापन में जहां-जहां साक्षात्कार से संबन्धित व्यवस्था का उल्लेख हुआ है उन्हें विलोपित किया जाता है । विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

सचिव

मध्यप्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 04 /05/2018

क्रमांक एफ 1/03/2018/38-1 -मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम, 1990 के तहत आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल तथा क्रीड़ाधिकारी एवं डॉ. बी.आर.अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू में सहायक प्राध्यापकों के पदों के लिए वर्ष 2018 में की जा रही नियुक्तियों की प्रक्रिया में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती की कार्यवाही लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में माध्यम से की जावे एवं भर्ती नियम में साक्षात्कार लिये जाने के प्रावधान से केवल एक बार के लिए छूट दी जाती हैं । अन्य सभी नियम अतिरिक्त अंक, आरक्षण, आयु सीमा आदि के प्रावधान पूर्व में घोषित अनुसार ही रहेंगे ।

मध्यप्रदेश शासन के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सभाजीत यादव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 1/03/2018/38-1

भोपाल, दिनांक 04 /05/2018

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, म0प्र0शासन, लोक सेवा आयोग, इंदौर ।
2. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा, भोपाल
3. निज सचिव, माननीय राज्यमंत्रीजी, म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा, भोपाल
4. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल
5. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
6. प्रभारी कम्प्यूटर शाखा कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा सतपुड़ा भवन, भोपाल

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

7. गार्ड फाईल ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग